न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक: 18.07.2024

मुकदमा नम्बर 69/2023
ऑनलाईन नम्बर 2023/143
वीणादेवी पत्नी संतोष कुमार जाति माहेश्वरी सोनी निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर जरिये मुख्त्यारआम संतोष कुमार पुत्र छोगमल जाति माहेश्वरी सोनी निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थिनी—

बनाम

1. छबीलसिंह पुत्र रिसालसिंह जाति मेघवाल निवासी इन्दपालसर राईकान तहसील तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. घासीराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी जोधासर तहसील तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी ने उपरोक्त अनवानी दावा न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थिनी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थिनी ने अपने पति संतोष कुमार को अपना मुख्त्यारआम नियुक्त कर रखा है। मुख्त्यारआम संतोष कुमार को प्रकरण के समस्त तथ्यों की जानकारी है, प्रार्थिनी की तरफ से वादगत सम्पति सम्बन्धी समस्त काम प्रार्थिनी का पति ही करता है । प्रार्थिनी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 141 तादादी 0.500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 तादादी 1.5200 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। खसरा नम्बर 141, 142, 144 मौके पर एकल है । प्रार्थिनी के उक्त तीनो खेत मौके पर एकल एक खेत के रूप में है। रेकार्ड में खसरे अलग—अलग है, तीन खसरे सींवा जोड़ है। प्रार्थिनी ने तीनो खसरान की भूमि को एकल कर तारपट्टी व बाड़ बना रखी है। अन्दर एक छान भी प्रार्थिनी की बनाई हुई है तथा प्रार्थिनी ने अपने खातेदारी की उक्त भूमि पर पेड़ भी लगा रखे है। पट्टियो पर बी. सो. यानि वीणा सोनी नाम भी लिखा हुआ है। प्रार्थिनी की उक्त खातेदारी जमीन आबादी श्रीडूंगरगढ़ के समीप होने से काफी कीमंती है। प्रार्थिनी की इस खातेदारी खसरान की जमीन के उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदरी जमीन खसरा नम्बर 137 है, जो अप्रार्थीगण के नाम बैनामी खरीद की हुई है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 का वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 137 पर कब्जा काश्त, उपयोग—उपभोग नहीं है, कभी रहा है। खसरा नम्बर 137 व 144 के बीच में प्रार्थिनी की तारपट्टी व बाड़ से पुख्ता सीमा कायम हुई है, जो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम जमीन खरीद करने से पूर्व से है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बैनामी बेचान सन् 2022 में करवाया गया है, जबकि खसरा नम्बर 144 व 137 के बीच पुख्ता सीमाबन्दी के रूप में तारपट्टी व बाड़ सन् 2007 से वादिनी की बनाई हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खसरा नम्बर 137 की जमीन पहले गोरूराम मेघवाल नाम व्यक्ति के नाम थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खसरा नम्बर 137 की जमीन का बेचान हो जाने से इस खसरा के 3/7 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम तथा 4/7 हिस्सा की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज हो गई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है । जिन्होने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बैनामी खसरा नम्बर 137 की जमीन खरीदी है, उन्ही प्रभावशाली व्यक्तियो की शह पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थिनी के खेत की उतरी सीमाबन्दी के रूप में प्रार्थिनी द्वारा करवाई गई तारपट्टी व बाड़, जो खसरा नम्बर 144 व 137 के बीच सीमाबन्दी के रूप में है, को हटाकर बलपूर्वक प्रार्थिनी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 144 पर बलात कब्जा करने की फिराक में है । प्रार्थिनी सीधी सादी कानून में विश्वास रखने वाली औरत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पीछे प्रभावशाली व्यक्तियो का हाथ होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हौसले काफी बुलन्द है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादिनी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 144 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी खेत खसरा नम्बर 137 के बीच स्थित तारपट्टी व बाड़ को बलपूर्वक हटाकर प्रार्थिनी के खेत पर बलपूर्वक कब्जा करने पर आमादा है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थिनी को खुले तौर पर धमकी दी है कि या तो हमे तारपट्टी व बाड़ हटाने दो, नही तो हम तुम्हारे व तुम्हारे परिवार वालो के विरूद्ध एस. सी./एस.टी. का मुकदमा करवाकर फंसा देगे, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कहा है कि हमारे पीछे प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिये पटवारी व प्रशासन हमारे साथ है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 30.05.2023 को प्रार्थिनी को ऐलानिया तौर पर धमकी देते हुये प्रार्थिनी को उसके खेत खसरा नम्बर 144 को काश्त करने से मना कर दिया, नहीं मानने पर बलपूर्वक खेत पर कब्जा करने व एस.सी./एस.टी. का मुकदमा करने की ऐलानियां तौर पर धमकी दी है। खसरा नम्बर 137 व 144 के बीच में पुख्ता तारपट्टी व बाड़ की हुई है, जो काफी पुरानी है, बाबत प्रार्थिनी ने फोटो भी खींच रखे है, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है । प्रार्थिनी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का बलपूर्वक मुकाबला करने में असमर्थ है । प्रार्थिनी के पास अपने अधिकारो की रक्षार्थ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । वादगत खेत खसरा नम्बर 144, 141, 142 की खातेदारी प्रार्थिनी के नाम होने व खसरा नम्बर 144, 142, 141 की भूमि मौके पर एकल होने व प्रार्थिनी का कब्जा, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है, इसलिये प्रार्थिनी का प्रथम दृष्ट्या मामला है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थिनी के पक्ष में है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थिनी के खेत खसरा नम्बर 144 पर बलपूर्वक कब्जा करने तथा खसरा नम्बर 144 व 137 के बीच सीमाबन्दी के रूप में प्रार्थिनी द्वारा की गई पट्टी तार व बाड़ को हटाने की धमकी दी है, अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थिनी को अपूर्णनीय क्षति होगी । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थिनी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 144 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 137 के बीच सीमाबन्दी में प्रार्थिनी द्वारा सीमाबन्दी के रूप में की गई तारपट्टी, बाड़बन्दी को ना हटावे तथा प्रार्थिनी के खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 144, 142, 141 में प्रवेश ना करे, ना ही किसी प्रकार से दखल देवे तथा प्रार्थिनी को काश्त करने से ना रोके तथा ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य ना करे, जो प्रार्थिनी के हितो पर विपरित हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:58 IST
Reason: Self Attested

खण्ड अधिकारी
डूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकरान सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने बहस करतें हुए कथन किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 141 तादादी 0.50 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 142 तादादी 0.250 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 1.52 हैक्टेयर रोही मौजा श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की खातेदारी प्रार्थिनी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना हैं, प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र/दावा दायरी से पूर्व ही आनन–फानन में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि के कुछ भाग पर नाजायज अतिक्रमण कर मौका पर कुछ पट्यिां रोपकर अपना नाम लिखकर उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थिनी का खेत आबादी श्रीडूंगरगढ़ समीप कतई नही है ना ही भूमि किमती है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 137 की दक्षिणी तरफ प्रार्थिनी का खेत है, प्रार्थिनी ने बाला बाला ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि की तरफ नाजायज अतिक्रमण कर लिया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थिनी से अतिक्रमण की हुई भूमि छोड़ने का निवेदन किया तो प्रार्थिनी ने कहा कि पहले भूमि की पैमाईश करवा लो यदि आपके खसरे की भूमि मेरे खसरे में दबी हुई पाई जायेगी तो मैं तुरन्त ही कब्जा छोड़ दूंगी। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष खेत खसरा नम्बर 137 रोही मौजा श्रीडूंगरगढ़ की पैमाईश करवाने हेतु आवेदन किया, जिस पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने दिनांक 05.04.2023 को आदेश क्रमांक सम/2023/2004–2009 से पैमाईश हेतु टीम गठीत की, जिस पर आईएलआर श्री अशोक कुमार ने नैतृत्व में दिनांक 10.04.2023 को पैमाईश की गई, उक्त पैमाईश में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 137 तादादी 5.61 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थिनी के खेत खसरा नम्बर 144 में 0.84 हैक्टेयर भूमि दबी हुई पाई गई, पैमाईश के समय मौका पर प्रार्थिनी का पति संतोष कुमार उपस्थित था, जिन्होने ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये, उक्त पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार दबी हुई 0.84 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थिनी के पति से छोड़ने के बारे में कहा तो प्रार्थिनी के पति संतोष कुमार ने एक–दो दिन में जमीन को रिक्त करने के लिए कहा, फिर प्रार्थिनी ने वादगत खेत खसरा नम्बर 141,142,144 कुल तादादी 2.27 हैक्टेयर की पैमाईश हेतु तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष आवेदन किया, जिस पर तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़ के आदेश क्रमांक भू.अ./2023/011 दिनांक 26.04.2023 की पालना में दिनांक 18.05.2023 को मौका पर पैमाईश की गई, उक्त पैमाईश रिपोर्ट में भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 137 की 0.84 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिनी के खेत खसरा नम्बर 144 में दबी हुई पायी गई। फर्द मौका रिपोर्ट में प्रार्थिनी के पति संतोष कुमार के पति के हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थिनी से अपनी दबी भूमि को छोड़ने का निवेदन किया तो प्रार्थिनी व उसके पति ने कहा कि हम एक–दो दिन में ही खेत की सीवं हटाकर आपकी भूमि को रिक्त कर देगें। परन्तु प्रार्थिनी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि को रिक्त नही कर उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या वादगत खसरान की भूमि में 3/7 हिस्सा नही होकर 4/7 हिस्सा भूमि व इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4/7 हिस्सा नही होकर 3/7 हिस्सा भूमि हैं । प्रार्थिनी ने वादगत खेतो को स्वयं ने भी पैमाईश करवा रखी हैं तथा पैमाईश रिपोर्ट पटवारियों की टीम व गिरदावर की मौजूदगी में हुई हैं, दोनों पैमाईश

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:32:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की 0.84 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थिनी का कब्जा पाया गया हैं । दिनांक 30.05.2023 को अप्रार्थीगण से ना तो प्रार्थिनी मिली ना ही किसी प्रकार की ऐलानियां धमकियां दी गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थिनी ने खसरा नम्बर 144 की आड़ में आगे बढ़कर खसरा नम्बर 137 की 0.84 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया हैं । प्रार्थिनी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने का कतई अधिकार नही है ना ही खसरा नम्बर 137 की दबायी हुई 0.84 हैक्टेयर भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार हैं । प्रार्थिनी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183ख की कार्यवाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से उक्त दावा/प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया हैं । उक्त दबी हुई भूमि के संबंध में श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त नही होकर तहसीलदार राजस्व को प्राप्त हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी का दावा/प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला व अपूरणीय क्षति, सुविधा संतुलन का सिद्वान्त का सिद्वान्त प्रार्थिनी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बनता हैं। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2009(2)आरजे पृष्ठ संख्या 872 से 874 पेश किये।

प्रार्थिनी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थिनी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 141 तादादी 0.500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 तादादी 1.5200 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। खसरा नम्बर 141, 142, 144 मौके पर एकल है । प्रार्थिनी के उक्त तीनो खेत मौके पर एकल एक खेत के रूप में है। रेकार्ड में खसरे अलग–अलग है, तीन खसरे सींवा जोड़ है। प्रार्थिनी ने तीनो खसरान की भूमि को एकल कर तारपट्टी व बाड़ बना रखी है। अन्दर एक छान भी प्रार्थिनी की बनाई हुई है तथा प्रार्थिनी ने अपने खातेदारी की उक्त भूमि पर पेड़ भी लगा रखे है। पट्टियो पर बी. सो. यानि वीणा सोनी नाम भी लिखा हुआ है। प्रार्थिनी की उक्त खातेदारी जमीन आबादी श्रीडूंगरगढ़ के समीप होने से काफी कीमती है। प्रार्थिनी की इस खातेदारी खसरान की जमीन के उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदरी जमीन खसरा नम्बर 137 है, जो अप्रार्थीगण के नाम बैनामी खरीद की हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 137 पर कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग ना है, ना कभी रहा है। खसरा नम्बर 137 व 144 के बीच में प्रार्थिनी की तारपट्टी कर बाड़ बंदी कर पुख्ता सीमा कायम हुई है, जो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम जमीन खरीद करने से पूर्व से है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बैनामी बेचान सन् 2022 में करवाया गया है, जबकि खसरा नम्बर 144 व 137 के बीच पुख्ता सीमाबन्दी के रूप में तारपट्टी व बाड़ सन् 2007 से वादिनी की बनाई हुई है। खसरा नम्बर 137 की जमीन पहले गोरूराम मेघवाल नाम व्यक्ति के नाम थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खसरा नम्बर 137 की जमीन का बेचान हो जाने से इस खसरा के 3/7 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम तथा 4/7 हिस्सा की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज हो गई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बैनामी खसरा नम्बर 137 की जमीन खरीदी है, उन्ही प्रभावशाली व्यक्तियो की शह पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थिनी के खेत की उतरी सीमाबन्दी के रूप में प्रार्थिनी द्वारा करवाई गई तारपट्टी व बाड़, जो खसरा नम्बर 144 व 137 के बीच सीमाबन्दी के रूप में है, को

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:58 IST
Reason: Submitted

उप खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हटाकर बलपूर्वक प्रार्थिनी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 144 पर बलात कब्जा करने की फेराक में है। वादगत खेत खसरा नम्बर 144, 141, 142 की खातेदारी प्रार्थिनी के नाम होने व खसरा नम्बर 144, 142, 141 की भूमि मौके पर एकल होने व प्रार्थिनी का कब्जा, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है, इसलिये प्रार्थिनी का प्रथम दृष्ट्या मामला है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थिनी के पक्ष में है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थिनी के खेत खसरा नम्बर 144 पर बलपूर्वक कब्जा करने तथा खसरा नम्बर 144 व 137 के बीच सीमाबन्दी के रूप में प्रार्थिनी द्वारा की गई पट्टी तार व बाड़ को हटाने की धमकी दी है, अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थिनी को अपूर्णनीय क्षति होगी । अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थिनी के पक्ष में है लिहाजा तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखें जाने का आदेश प्रदान करें। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1989 पृष्ठ संख्या 753 से 757 पेश किये।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष खेत खसरा नम्बर 137 रोही मौजा श्रीडूंगरगढ़ की पैमाईश करवाने हेतु आवेदन किया, जिस पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने दिनांक 05.04.2023 को आदेश क्रमांक सम/2023/2004–2009 से पैमाईश हेतु टीम गठीत की, जिस पर आईएलआर के नैतृत्व में दिनांक 10.04.2023 को पैमाईश की गई, उक्त पैमाईश में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 137 तादादी 5.61 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थिनी के खेत खसरा नम्बर 144 में 0.84 हैक्टेयर भूमि दबी हुई पाई गई। प्रार्थिनी ने वादगत खेत खसरा नम्बर 141,142,144 कुल तादादी 2.27 हैक्टेयर की पैमाईश हेतु तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष आवेदन किया, जिस पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश क्रमांक भू.अ./2023/011 दिनांक 26.04.2023 की पालना में दिनांक 18.05.2023 को मौका पर पैमाईश की गई, उक्त पैमाईश रिपोर्ट में भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 137 की 0.84 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिनी के खेत खसरा नम्बर 144 में दबी हुई पायी गई। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीनी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है लिहाजा प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:58 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ